



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 577]

No. 577]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 5, 2006/अग्रहायण 14, 1928

NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 5, 2006/AGRAHAYANA 14, 1928

कार्यनी कार्य संत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 नवम्बर, 2006

सा.का.नि. 734(अ).—केन्द्रीय सरकार, लागत और संकर्म लेखापाल अधिनियम, 1959 (1959 का 23) की धारा 29ग और धारा 29घ की उप-धारा (1) के साथ पर्याप्त धारा 38क की उप-धारा (2) के खंड (ड) और (च) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम लागत और संकर्म लेखापाल क्वालिटी पुनर्विलोकन बोर्ड की बैठकों की प्रक्रिया और बोर्ड के अध्यक्ष तथा सदस्यों की सेवा के निबंधन और शार्तें तथा भत्ते नियम, 2006 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषा—(1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अर्पेक्षित न हो,—

(क) "अधिनियम" से लागत और संकर्म लेखापाल अधिनियम, 1959 अभिप्रेत है;

(ख) "बोर्ड" से अधिनियम की धारा 29क की उप-धारा (1) के अधीन बनाया गया क्वालिटी पुनर्विलोकन बोर्ड अभिप्रेत है;

(ग) "परिषद्" से अधिनियम की धारा 9 के अधीन गठित परिषद् अभिप्रेत है।

(घ) "संस्थान" से अधिनियम के अधीन स्थापित भारतीय लागत और संकर्म लेखापाल संस्थान अभिप्रेत है।

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं, किन्तु परिभाषित नहीं हैं और अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो उस अधिनियम में हैं।

3. बोर्ड की बैठकों की प्रक्रिया.—(1) बोर्ड की सभी बैठकें सामान्यतः, संस्थान के मुख्यालय पर होंगी।

(2) किसी बैठक की तारीख और समय, अध्यक्ष द्वारा नियत की जाएंगी।

परन्तु बोर्ड के अध्यक्ष या उसके द्वारा इस प्रकार प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा ऐसी सूचना, जो ऐसी प्रत्येक बैठक को अनुसूचित तारीख से पहले पन्द्रह दिन से कम न हो, बोर्ड के अन्य सदस्यों को दी जाएगी :

परन्तु यह और कि अध्यक्ष, कारणों को लेखबद्ध करते हुए, किसी लघुत्तर सूचना पर कोई बैठक बुला सकेगा :

परन्तु यह भी कि किन्हीं दो बैठकों के बीच छह मास से अधिक व्यपात नहीं होंगे।

(3) बोर्ड की बैठक में किसी कारबाह के संव्यवहार के लिए गणपूर्ति तीन सदस्य होंगी जिसमें से कम से कम एक सदस्य, अधिनियम की धारा 29क की उप-धारा (3) के अधीन, केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट होना चाहिए।

(4) अध्यक्ष, बोर्ड की सभी बैठकों की अध्यक्षता करेगा :

परन्तु अध्यक्ष की अनुपस्थिति में, सदस्य, बैठक की अध्यक्षता करने के लिए बैठक के दिन उपस्थित सदस्यों में से किसी सदस्य को निर्वाचित करेंगे ।

(5) ऐसे सभी प्रश्नों का, जो बोर्ड की किसी बैठक के समक्ष आते हैं, विनिश्चय, उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के बहुमत द्वारा होगा और मत बराबर होने की दशा में, अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में पीटासीन सदस्य, द्वितीय या निर्णायक मत रखेंगा ।

4. कारबार का संव्यवहार.—बोर्ड का कारबार, सामान्यतः, बोर्ड की बैठक में संव्यवहारित होगा।

5. बोर्ड की बैठक के लिए कार्यसूची.—(1) बोर्ड की बैठक के लिए कार्यसूची का विनिश्चय अध्यक्ष द्वारा होगा ।

(2) केन्द्रीय सरकार या परिषद् द्वारा उसको निर्दिष्ट कोई मामला, ऐसे किसी निर्देश में, विनिर्दिष्ट समय-समय के भीतर, यदि कोई हो, बोर्ड की बैठक के लिए कार्यसूची में सम्मिलित होगा ।

(3) अध्यक्ष, समुचित मामलों में, परिचालन द्वारा संकल्प के लिए बोर्ड के सदस्यों के बीच, किसी विवाद्यक पर कार्यसूची टिप्पण और संबंधित कागजों को परिचालित कर सकेगा :

परन्तु यदि बोर्ड के तीन सदस्य अपेक्षा करते हैं कि कोई प्रश्न किसी बैठक में विनिश्चित हो तो अध्यक्ष कागजों को परिचालन से वापस लेगा और बोर्ड की बैठक में उस प्रश्न को अवधारित कराएगा ।

(4) कागजों के वरिचालन द्वारा लिया गया कोई विनिश्चय सभी सदस्यों को संसूचित किया जाएगा और बोर्ड की अगली बैठक में नोट किया जाएगा ।

6. बोर्ड द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया.—बोर्ड, अपने कृत्यों के निर्वहन में निम्नलिखित कर सकेगा -

(क) अपने लिए वा संस्थान के अधीन स्थापित किसी विशिष्ट इत्तजाम के द्वारा, संस्थान के सदस्यों द्वारा उपलब्ध किए गए किसी कार्य और सेवाओं की क्वालिटी का मूल्यांकन और पुनर्विलोकन एसी रीति में जैसा वह विनिश्चित करे, करना;

(ख) संस्थान के सदस्यों द्वारा उपलब्ध की गई विभिन्न सेवाओं को मूल्यांकन करने के लिए प्रक्रिया या मूल्यांकन मानदण्ड अधिकृतित करना और पुनर्विलोकन के लिए, ऐसी सेवाएं देने वाली व्यष्टियों और फर्मों का, ऐसी रीति और प्रूफ में, जैसा वह विनिश्चय करे, चयन करना ;

(ग) संस्थान, परिषद् या उसकी समितियों, सदस्यों, सदस्यों के कक्षीकारों, अन्य व्यक्तियों या संगठनों से सूचना, ऐसे प्रूफ और रीति में, जैसा वह विनिश्चय करे, मांगना ;

(घ) संस्थान के सदस्यों द्वारा प्रस्थापित कार्य और सेवाओं की क्वालिटी का निर्धारण करने के उद्देश्य से किसी विशेषता/तकनीकी सत्ताह या राय या विश्लेषण या किसी मामले या विषय को, जिस बोर्ड सुसंगत अनुभव करे, उपलब्ध करने के लिए विशेषज्ञों को आर्पत्रित करना ;

(ङ) संस्थान के सदस्यों को उनकी वृत्तिक क्षमता और अहतार्द, प्रस्थापित कार्य और सेवाओं की क्वालिटी की अभिवृद्धि के लिए और विभिन्न कानूनी और अन्य विनियमनात्मक अपेक्षाओं और उनसे संबंधित अन्य मामलों की अनुषक्ति के लिए, मार्गदर्शन करने को, परिषद् को सिफारिसों करना ।

7. बोर्ड की सहायता.—संस्थान, किसी विशिष्ट तकनीकी यूनिट को, निम्नलिखित के लिए गठित करेगा-

(क) बोर्ड के कृत्यों के निर्वहन में उसको, यथा अपेक्षित सचिवीय सहायता उपलब्ध करना ;

(ख) सदस्यों द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवा की क्वालिटी का पुनर्विलोकन करने में बोर्ड की सहायता करना।

8. बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा के निर्बंधन और शर्तें.—(1) बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि चार वर्ष की होगी।

(2) बोर्ड के अध्यक्ष और अन्य सदस्य अंशकालिक सदस्य होंगे।

(3) बोर्ड का कोई भी अध्यक्ष और सदस्य, नियम 10 के अधीन यथाउपवधित के सिवाय, हटाया या वापस नहीं किया जाएगा।

9. भत्ते.—(1) अध्यक्ष और अन्य सदस्य, उनकी पदीय हैसियत में, उनको यथाअनुज्ञेय यात्रा भत्ते और दैनिक भत्ते के लिए हकदार होंगे और सदस्य के एक सरकारी सेवक नहीं होने की दशा में, यदि संस्थान के मुख्यालय पर बोर्ड की बैठक में उपस्थित होने के लिए, यदि उसका निवास स्थान संस्थान के मुख्यालय से भिन्न है तो वह भारत सरकार में संयुक्त सचिव के वेतनमान के किसी भद्र को धारण करने वाले किसी अधिकारी को यथाअनुज्ञेय यात्रा भत्ते और दैनिक भत्ते के लिए हकदार होगा ।

(2) बोर्ड के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों को, जिनके निवास स्थान, बोर्ड की बैठक के स्थान पर हैं तो बोर्ड की बैठक के संबंध में की गई स्थानीय यात्राओं के लिए स्थानीय वाहन या भत्ता उपलब्ध कराया जाएगा ।

(3) बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्य दौरं के समय उपरोक्त दरों पर यात्रा और दैनिक भत्तों के लिए हकदार होंगे।

10. त्यागपत्र, हटाया जाना और आकस्मिक रिक्विट का भरा जाना.—(1) बोर्ड का अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य उसके त्यागपत्र या हटाए जाने के मामले में, यथास्थिति, अध्यक्ष या सदस्य नहीं रहेगा।

(2) बोर्ड का अध्यक्ष या कोई सदस्य, केन्द्रीय सरकार को स्वहस्ताक्षरित लिखित रूप में सूचना द्वारा अपने पद का त्याग कर सकेगा जो त्यागपत्र की तारीख से ही प्रधानी होगा।

(3) केन्द्रीय सरकार किसी व्यक्ति को अध्यक्ष या सदस्य के पद से हटा सकेगी, यदि—

- (क) वह, यथास्थिति, अध्यक्ष या किसी सदस्य के रूप में कार्य करने में शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से कार्य करने में असमर्थ हो चुका है ;
- (ख) उसने बोर्ड की लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थिति की इजाजत के बिना हाजिर नहीं हुआ है ;
- (ग) उसने, अध्यक्ष होने पर, छह मास से अधिक से बोर्ड की बैठक नहीं बुलाई है ;
- (घ) वह, केन्द्रीय सरकार की राय में, अपने कृत्यों का निर्वहन करने या कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है ; या
- (ड) वह ऐसे किसी अपराध के लिए सिविल या दांडिक न्यायालय द्वारा दोषी अभिनिर्धारित किया गया है जो छह मास से अधिक की अवधि के लिए कारावास से दण्डनीय है ।

(4) बोर्ड में किसी आकस्मिक रिक्ति को, केन्द्रीय सरकार द्वारा उस प्रकार में से, जिनमें ऐसी रिक्ति उत्पन्न हुई है, भरा जाएगा।

11. अवशिष्ट उपबंध.—बोर्ड के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों के सेवा के निबंधन और शर्तों और भत्तों, बैठकों के स्थान और बोर्ड की बैठकों में अंगीकृत होने वाली प्रक्रिया से संबंधित विषयों के संबंध में, इन नियमों में कोई अभिव्यक्त उपबंध नहीं किया गया है, तो प्रत्येक मामले में इसके विविश्चय के लिए केन्द्रीय सरकार को निर्दिष्ट होगा और उस पर केन्द्रीय सरकार का विविश्चय, बोर्ड, अध्यक्ष और अन्य सदस्यों पर आवङ्कर होगा।

[फा. सं. 5/27/2006—सी.एल-5]

जीतेश खोसला, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMPANY AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th November, 2006

G.S.R. 734(E).—In exercise of the powers conferred by clauses (e) and (f) of Sub-section (2) of Section 38A of, read with Section 29C and Sub-section (1) of Section 29D of, the Cost and Works Accountants Act, 1959 (23 of 1959), the Central Government hereby makes the following rules namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These Rules may be called the Cost and works Accountants Procedures of Meetings of Quality Review Board, and Terms and Conditions of Service and allowances of the Chairperson and members of the Board Rules, 2006.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.—(1) In these Rules, unless the context otherwise requires,

- (a) "Act" means the Cost and works Accountants Act, 1949;
- (b) "Board" means the Quality Review Board formed under sub-section (1) of Section 29A of the Act;
- (c) "Council" means the Council constituted under Section 9 of the Act;
- (d) "Institute" mean the Institute of Cost and Works Accountants of India set up under the Act.

(2) Words and expressions used but not defined in these Rules and defined in the Act shall have the same meaning as assigned to them in the Act.

3. Procedure for Meetings of the Board.— (1) All meetings of the Board shall, ordinarily, be held at the headquarters of the Institute.

(2) The date and time of any meeting shall be fixed by the Chairperson :

Provided that a notice of not less than 15 days before the scheduled date of every such meeting shall be given by the Chairperson or any person so authorised by him to the other members of the Board :

Provided further that the Chairperson, for reasons to be recorded in writing, may call for a meeting at a shorter notice :

Provided also that not more than six months shall elapse between any two meetings.

(3) The quorum for transaction of any business at a meeting of the Board shall be of three members, of which at least one must be nominated by the Central Government under Sub-section (3) of Section 29A of the Act.

(4) The Chairperson shall chair all the meetings of the Board :

Provided that in the absence of Chairperson, the members shall elect any of the members present on the day of the meeting to chair the meeting.

(5) All questions which come up before any meeting of the Board shall be decided by a majority of the members present and voting, and in the event of an equality of votes, the Chairperson or in his absence, the member presiding, shall have a second or casting vote.

4. Transaction of Business.—The business of the Board shall ordinarily be transacted at a meeting of the Board.

5. Agenda for the Board meeting.—(1) The agenda for a meeting of the Board shall be decided by the Chairperson.

(2) Any matter referred to it by the Central Government or the Council shall be included in the agenda for the meeting of the Board within time limits specified, if any, in such a reference.

(3) The Chairperson may, in appropriate cases, circulate the agenda note and related papers on any issue among members of the Board for resolution by circulation.

Provided that if three members of the Board require that any question be decided at a meeting, the Chairperson shall withdraw the papers from circulation and have the question determined at a meeting of the Board.

(4) A decision taken by the circulation of the papers shall be communicated to all the members and shall be noted at the next meeting of the Board.

6. Procedures to be followed by the Board.—In the discharge of its functions, the Board may :

- (a) on its own or through any specialized arrangement set up under the Institute, evaluate and review the quality of work and services provided by the members of the Institute in such manner as it may decide;
- (b) lay down the procedure or evaluation criteria to evaluate various services being provided by the members of the Institute and to select, in such manner and form as it may decide, the individuals and firms rendering such services for review;
- (c) call for information from the Institute, the Council or its Committees, members, clients of members or other persons or organisations in such form and manner as it may decide, and may also give a hearing to them;
- (d) invite experts to provide expert/technical advice or opinion or analysis or any matter or issue which the Board may feel relevant for the purpose of assessing the quality of work and services offered by the members of the Institute;
- (e) make recommendations to the Council to guide the members of the Institute to improve their professional competence and qualifications, quality of work and services offered and adherence to various statutory and other regulatory requirements and other matters related thereto.

7. Assistance to the Board.—The Institute shall set up a specialised technical unit to—

- (a) provide secretarial assistance, as required, to the Board in the discharge of its functions;
- (b) to assist the Board in carrying out review of quality of services provided by the Members.

8. Terms and conditions of service of the Chairperson and Members of the Board.—(1) The tenure of the Chairperson and Members of the Board shall be four years.

(2) The Chairperson and other members of the Board shall be part-time members.

(3) No Chairperson or member of the Board shall be removed or withdrawn except as provided under Rule 10.

9. Allowances.—(1) The Chairperson and other Members shall be entitled to travelling and daily allowances as admissible to them in their official capacity, and in case, the member is not a Government Servant, he will be entitled to the travelling allowance and daily allowance as admissible to an officer holding a post carrying a scale of pay of a Joint Secretary to the Government of India for attending meetings of the Board at the headquarters of the Institute if their place of residence is different from the headquarters of the Institute.

(2) The Chairperson and other Members of the Board whose place of residence is the same as the venue of the meeting of the Board shall be provided local conveyance or allowance for the local journeys to be performed in connection with the meetings of the Board.

(3) The Chairperson and other Members of the Board, while on tour, shall be entitled to travelling and daily allowances at the above rates.

10. Resignation, Removal and filling up of casual vacancy.—(1) The Chairperson and each Member of the Board shall cease to remain the Chairperson or Member, as the case may be, in case of his resignation or removal.

(2) The Chairperson or a Member of the Board may resign his office by a notice in writing under his hand addressed to the Central Government which shall be effective from the date of resignation.

(3) The Central Government may remove a person from the post of Chairperson or Member, if

- (a) he has become physically or mentally incapable of acting as the Chairperson or a Member, as the case may be;
- (b) he has not attended three consecutive meetings of the Board, without leave of absence;
- (c) he, being the Chairperson, has not called a meeting of the Board for more than six months;
- (d) he, in the opinion of the Central Government, is unable to discharge his function or perform his duties; or
- (e) he has been held guilty by any civil or criminal court for an offence which is punishable with imprisonment for a term exceeding six months.

(4) A casual vacancy in the Board shall be filled by the Central Government, from out of the category in which such vacancy occurs.

11. Residuary provision.—Matters relating to the terms and conditions of services and allowances of the Chairperson and other members of the Board, the place of meetings and the procedure to be adopted in meetings of the Board, with respect to which no express provisions have been made in these rules shall be referred in each case to the Central Government for its decision and the decision of the Central Government thereon shall be binding on the Board, the Chairperson and other members.

[F. No. 5/27/2006-C.I.-V.]

JITESH KHOSLA, Jt. Secy.